न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : डा0 मधु खरे
सदस्य

प्रकरण कमांक निगरानी 2612–तीन/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 24–6–2015 पारित द्वारा तहसीलदार बडोदिया जिला शाजापुर प्रकरण कमांक 66/अ–12/2014–15

1. जितेन्द्र कुमार
2. महेन्द्र कुमार पुत्रगण गोरेलाल
3. कमलाबाई विधवा गोरेलाल
4. राजामणी पुत्री गोरेलाल
   निवासीगण पाडलिया तहसील शुजालपुर
   जिला शाजापुर, म0प्र0

———आवेदकगण

विरूद्ध

1. बाबूलाल उर्फ अशोक कुमार
2. राजकुमार
3. भोजराज पुत्रगण देवी सिंह पंवार
   निवासीगण पाडलिया तहसील
   शुजालपुर जिला शाजापुर म0प्र0
4. म0प्र0 शासन

———अनावेदकगण

– – – – – –

श्री आर0एस0 सेंगर, अभिभाषक, आवेदकगण

– – – – – – –

:: आदेश पारित ::
(दिनांक 9 नवम्बर 2015)

– – – – –

आवेदकों द्वारा यह निगरानी म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संक्षिप्त में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत तहसीलदार बडोदिया जिला शाजापुर के आदेश दिनांक 24–6–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा यह तर्क किया कि अनावेदकगण द्वारा ग्राम पाडलिया स्थित भूमि सर्वे 761 रकवा 0.460 हेक्टर एवं सर्वे कमांक 764 रकवा 1.370 हेक्टर कुल रकवा 1.830 हेक्टर का सीमांकन कराने हेतु विचारण न्यायालय तहसीलदार अवन्तिपुर बडोदिया के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय द्वारा राजस्व निरीक्षक अवन्तिपुर बडोदिया को सीमान्त कृषकों को सूचना देकर सीमांकन की कार्यवाही करने के निर्देश दिये परन्तु राजस्व निरीक्षक आवेदकगण को सीमावर्ती कृषक होने के बावजूद किसी प्रकार की कोई सूचना सीमांकन के पूर्व नहीं दी गई। आवेदकगण एवं अनावेदकगण की विवादित भूमि संयुक्त हिन्दु परिवार की भूमि है जो पारिवारिक विभाजन की व्यवस्था के अंतर्गत आवेदकगण को प्राप्त हुई थी। आवेदकगण का आधिपत्य पूर्वजों के समय से चला आ रहा है। पैमाइश के लिऐ चुने गये प्रस्थान बिन्दु किसी बंदोबस्ती निशान से न लिये जाकर अनुमान के आधार पर तय किये गये हैं और मौके पर कोई पत्थर भी नहीं गाडे गये। यह भी तर्क दिया कि आवेदकगणको कोई सूचना पत्र जारी नहीं किया गया केवल आवेदक कमांक 3 का नाम सूचना पत्र में लिखा गया एवं पंचनामा पर भी आवेदकगण के हस्ताक्षर नहीं हैं। तर्क में यह भी कहा कि आवेदकगण की उपस्थिति में उक्त सीमांकन में रकवे 0.05 हेक्टर पर आवेदकण का अतिकमण पाया। अतः उक्त सीमांकन आदेश दिनांक 26–6–15 निरस्त किया जाये।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की सत्यापित प्रति का अवलोकन किया, जिससे प्रकट होता है कि अनावेदकगण की ओर से प्रस्तुत धारा 129 के आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर संलग्न सूचना पत्र के अनुसार दिनांक 12–6–15 को सीमावर्ती कृषकों को सूचना जारी की गई जिसमें आवेदक कमांक 3 दिनेश के हस्ताक्षर हैं। स्थल पंचनामा में आवेदकगण को सूचना

देने के उपरांत अनुपस्थित रहने का उल्लेख है। दिनांक 14—6—15 को सीमांकन किया गया जिसमें अनावेदकों को भूमि की सीमांएं के अस्थायी निशानात कायम करवाये गये तथा मौके पर किसी को कब्जा लिया दिया गया नहीं है, जिसकी पुष्टि पंचों द्वारा की गई है। अतः सीमांकन में किसी प्रकार की अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है। इसके अतिरिक्त यदि आवेदकगण चाहे तो स्वयं की भूमि का सीमांकन कराने के लिए स्वतंत्र हैं। दर्शित परिस्थितियों में आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रथमदृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है।

(डा0 मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वलियर